

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक/2019/
प्रार्थी

बनाम

2037

अप्रार्थीगण
दिनांक - 30/8/19

1 लालाराम पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी राऊजी की ढाणी, कवास तहसील व जिला बाड़मेर।


1 आईदानराम पुत्र मदरूपाराम वगैराह जाति जाट निवासी माडपुरा सानी, कवास तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 19/2017

दिनांक- 24/8/19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा राऊजी की ढाणी पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 320 रकबा 0.07 बीघा, खसरा संख्या 386/321 रकबा 62.02 बीघा, खसरा संख्या 388/387 रकबा 71.04 बीघा, खसरा संख्या 417/321 रकबा 64.18 बीघा, खसरा संख्या 420/378 रकबा 28.03 बीघा, खसरा संख्या 425/319 रकबा 0.03 बीघा, खसरा संख्या 426/378 रकबा 09.05 बीघा कुल रकबा 239.02 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर


दिनांक- 31/8/19

क्रमांक :- रीडर/2019/

2038-2041

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. लालाराम पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी राऊजी की ढाणी, कवास तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी आईदानराम पुत्र मदरूपाराम वगैराह जाति जाट निवासी माडपुरा सानी, कवास तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर